भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

343929

श्री

विक्रय पत्र तादादी – 4,51,000 / –

स्टाम्प किमतन – 1,30,000 / –

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 11–06–12 ईस्वी को निम्न पक्षकारान् के मध्य निष्पादित किया गया ।

**विक्रेता** – श्रीमती कमला पत्नि श्री हीरालाल मीणा उम्र व्यवस्क निवासी बडगॉव भीण्डर तहसील वल्लभनगर उदयपुर (राज.)

प्रथम पक्षकार

**क्रेता** – महावीर जैन विधालय संस्थान उदयपुर **संस्थापक संचालक / सचिव** हिम्मतलाल पुत्र श्री देवीलाल वया उम्र व्यवस्क निवासी 940 से. नं. 4 हिरण मगरी उदयपुर (राज.)

द्वितीय पक्षकार

25000/- स्टाम्प नं. 1016 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान संस्थापक (हिम्मत हाथी लेखा) जाति जैन उम्र बालिग

गाँव मनवा-43452 हस्ते श्री [illegible]

पुत्र श्री ———— जाति ———— उम्र ——

निवासी ———— का वास्ते विक्रय इकरार

को दिया गया। दिनांक 12/6/12

[illegible]
हस्ताक्षर खरीददार

[illegible]
स्टाम्प वेण्डर ला. नं. 8/08
हिरण मगरी, सेक्टर-4
उदयपुर (राज.)

[illegible] के लिए अपेक्षित 1,30,002/- [illegible] मुद्रांक नहीं है, [illegible] निकटतम निम्नतम [illegible] अभावी मुद्रांकों [illegible] निम्नतम पूर्ति की है।

25000/- Sale
25000+25000+
25000+25000 = 1,25,000/-
5000×1 = 5000/-
1,30,000/-

आज दिनांक 13/6/12 को ——— बजे से ——— बजे के मध्य श्री मती कमला ला. नं.-8/08
w/o हीरालाल जाति मीणा पेशा कास्त
निवासी बठाणा ने उप पंजीयक कार्यालय भीण्डर के [illegible] प्रस्तुत किया।

[illegible]
पी. के. [illegible]
स्टाम्प वेण्डर

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

[signature]
उप पंजीयक, भीण्डर

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की मालियत रुपये 2616750/- मानते हुए देय कमी मुद्रांक 840+13090/- पंजीयन शुल्क रुपया 26170+300/- = 40400/- जरिये रसीद नं. 186/12 दिनांक 13/6/12 से जमा हो [illegible] को रुपये 130840 के मुद्रांक पर [illegible] माना जाता है।

[signature]
उप पंजीयक, भीण्डर, जि.-उदयपुर (राज.)

रसीद सं. 186/12 दिनांक 13/6/12
द्वारा निम्न राशि जमा की गई।
पंजीयन शुल्क 26170/-
प्रतिलिपि शुल्क 300/-
इन्डोर्समेन्ट शुल्क ———
कमीशन शुल्क ———
अन्य सेट 13090/-
कमी मुद्रांक 840/-
योग 40400/-

[signature]
उप पंजीयक, भीण्डर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

कोषाधिकारी

7 JUN 2012 343928

उदयपुर (राज.)

1– यह कि मुझ प्रथम पक्षकार के स्वामित्व ऍव आधिपत्य की भुमि जो गॉव बंडगॉव पंचायत समिति भीण्डर तहसील वल्लभनगर उदयपुर में राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से दर्ज हैं। जिस पर वर्तमान में मैं प्रथम पक्षकार काबिज हूँ व मेरे आधिपत्य में हें। जो पटवार मण्डल बडगॉव तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित हैं। जिसके

| आराजी नम्बर | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 554 / 1मीन | 5 बिगा | 2..50 पेसे |

जो मुझ विकेता द्वारा श्री लच्छीराम पिता श्री नवला गमेती से कय की गई है व वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से दर्ज है। **इसमें से 2 बिगा 5 बिस्वा भुमि आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन कराकर द्वितीय पक्षकार को विकय की जा रही हे।**

अतः मेरे नाम से 5 ब्रिगा भुमि मे से उक्त वर्णित **भुमि 2 बिगा 5 बिस्वा का विकय पत्र करवाया जा रहा हैं।** शेष भुमि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से ही दर्ज हैं। **यह कि उक्त वर्णित भुमि सपरिवर्तन आदेश दिनांक**

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

25000/- स्टाम्प नं. 1017 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान संस्थापक हिम्मत लाल वया जाति जैन उम्र [illegible]
940, से. नं. 4 हिम. उदयपुर हस्ते श्री स्वयं
पुत्र श्री ........ जाति ........ उम्र ........
निवासी ........ का वास्ते विक्रय इकरार
को दिया गया। दिनांक 12/6/12

[illegible signature]
वास्ते खरीददार

पंकज
स्टाम्प वेण्डर ला. नं. 8/08
[illegible], सेक्टर-4
उदयपुर (राज.)

निष्पादक कर्ता श्रीमती कमला
प. पिता हीरालाल जाति मीणा
उम्र वयस्क पेशा कृषि
द्वारा इस लेख [illegible]
का निष्पादन कर[illegible] रू. 4,51,000/-
अक्षरे चार लाख इक्यावन हजार रू. पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार [illegible] समक्ष दिये गये/अतः दस्तावेज तस्दीक किया जाता है।

[illegible signature]
उप पंजीयक, भीण्डर

क्रेता :-
महावीर जैन विद्यालय संस्थान उदयपुर
संस्थापक संचालक श्री हिम्मत लाल पिता श्री देवीलाल वया निवासी 940 से. नं. 4
उदयपुर।

[illegible signature]

[illegible signature]
उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

राजस्थान RAJASTHAN

कोषाधिकारी

7 JUN 2012 343927

उदयपुर (राज)

24-04-12 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जी वल्लभनगर द्वारा कमाकं भु.रु. /ग्रा./07/12/12/535-539 दिनाक 24-04-12 द्वारा 4862 वर्गमिटर यानि 2 बिगा 5 बिस्वा भुमि को आबादी में किया गया और उक्त वर्णित भुमि द्वितीय पक्षकार को विकय की जा रही हैं। जिसका संपरिवर्तन आदेश प्रति सलग्न हैं जिसको द्वितीय पक्षकार को विकय की जा रही हैं।

विकय की जाने वाली जमीन आवासीय भुमि के पडोस निम्न हैं ।

| | | |
|---|---|---|
| पूर्व में | – | नाला व सरकारी जमीन |
| पश्चिम में | – | पोल फेक्ट्री की जमीन |
| उत्तर में | – | आबादी भुमि आराजी नं. 554/1 व रास्ता |
| दक्षिण में | – | स्वयं की शेष बची कृर्षि भुमि |

उप पंजीयक भीण्डर

जिला-उदयपुर (राज.)

25000/- रु. का स्टाम्प नं. 1018 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान

व्यवस्थापक महावीर जैन विद्यालय संस्थान जाति जैन उम्र ...

निवासी 140 से. नं. 4 हि. म. उदयपुर हस्ते श्री स्वयं

पुत्र श्री ... जाति ... उम्र ...

निवासी ... को वास्ते विक्रय इकरार

को दिया गया। दिनांक 12/6/12

पंकज
स्टाम्प वेण्डर ला. नं. 8/08
हिरण मगरी, सेक्टर-4
उदयपुर (राज.)

हस्ताक्षर खरीददार

निष्पादन कर्ता श्रीमती कमला
पत्नी श्री हीरालाल
जाति मीणा निवासी बड़गांव
पहचानकर्ता (1) श्री हीरालाल
पिता श्री सिंगा जाति मीणा
उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बड़गांव
एवं पहचानकर्ता (2) श्री नारायणलाल
पिता श्री मोहनलाल जाति लोहार
उम्र वयस्क पेशा प्रा. नौकरी निवासी केल्वारी
द्वारा पहचाना।

उप पंजीयक अधिकारी, भीण्डर

हीरालाल

नारायण

अंगूठा निशान एवं हस्ताक्षर मेरे सम्मुख नियमानुसार लिए गये।

उप पंजीयक
भीण्डर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

7 JUN 2012 343926

उदयपुर (राज.)

2- यह कि मुझ प्रथम पक्षकार के आधिपत्य स्वामित्व कर आबादी भुमि हस्तातंरण व अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह कि उक्त वर्णित आवासीय भुमि मुख्य संडक से दुर होकर व कच्ची सडक (पगडडी) पर स्थित हें। व नगर पालिका सीमा, औधौगिक क्षैत्र में नही हैं।

3- उक्त वर्णित कुलिया भुमि विकय की जा रही हैं। आज दिनांक के बाद उक्त वर्णित आवासीय भूमि पर विकेता प्रथम पक्षकार का किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नही रहेगा।

4- यह कि उक्त कुलिया 554/1 मीन कृर्षि भूमि आराजीयात् 5 बीगा में से भुमि सपरिवर्तन 2 बिगा 5 विस्वा यानि 4862 वर्गमीटर आवासीय भुमि परिवर्तन कराया गया उसे विकय की जा रही हें । प्रथम पक्षकार का आज के बाद कोई हक व हिस्सा नही रहेगा। यह कि उक्त वर्णित कृर्षि भुमि का 5 बिगा का विकय किया था उस समय आवासीय परिवर्तन की कार्यवाही चल रही थी उससे पूर्व ही खातेदार

कि. कमला

उप पंजीयक भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

25000/= रु. का स्टाम्प नं. 1019 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान

... श्री संस्थापक हिम्मत मालवणा जाति जैन उम्र वयस्क

निवासी 110, से. न. 4 हिरन मगरी उदयपुर हस्ते श्री स्वयं

पुत्र श्री — जाति — उम्र

निवासी — कार्यार्थ विक्रय इकरार

को दिया गया। दिनांक 12/6/12

पंकज
स्टाम्प वेण्डर ला. नं. 4/68
हिरन मगरी, सेक्टर-4
उदयपुर (राज.)

हस्ताक्षर खरीददार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

7 JUN 2012 343925

उदयपुर (राज.)

प्रथम पक्षकार इस शर्त पर राशि प्राप्त कर ली की आवासीय परिवर्तन का खर्चा द्वितीय पक्षकार का होकर मुझ प्रथम पक्षकार से आवासीय परिवर्तन होने के बाद पंजीयन कराना तय किया गया।

5. यह कि उक्त आवासीय भूमि को विकता प्रथम पक्षकार को रुपयो कि आवश्यकता होने के कारण उक्त भुमि विकय करने का विचार किया गया जिससे द्वितीय पक्षकारान् के समक्ष प्रस्ताव 4,51,000/– चार लाख इक्कावन हजार रुपया विकय मुल्य आंकते हुए विकय करना तय कर 51 इक्कावन हजार रुपया चेक नं. S.B.B.J Date 21-01-11 व रोकडा 1 लाख रुपया दिनांक 13–07–11 व 3 लाख रुपया दिनांक 7.09.11 व कुलिया राशि रुपया 4.51.000 अक्षरे चार लाख इक्कावन हजार रुपया विक्रेता ने केता द्वितीय पक्षकार से फरदन फरदन आज दिनांक तक कुलिया 4,51,000 चार लाख इक्कावन हजार प्राप्त कर लिया है। अब इस विकित आवासीय भूमि बाबत किसी भी प्रकार की राशी लेना बकाया नही है न ही भविष्य मे मांग की जायेगी विकित मुल्य प्राप्ती की अभीस्वीकृति वक्त रजिस्ट्री रुबरन सब

उप पंजीयक/भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

25000/- रु का स्टाम्प नं. 1020 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान

पुत्र श्री संस्थापक हिम्मत लालवया जाति जैन उम्र बालिग

निवासी 940 से. न. 4 हि.म. उदयपुर हस्ते श्री स्वयं

पुत्र श्री ............ जाति ............ उम्र ......

निवासी ............ को वास्ते विक्रय इकरार

को दिया गया। दिनांक 12/6/12

हस्ताक्षर खरीददार

पक्रम

हस्ताक्षर ...... 8/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषाधिकारी
राजस्थान
7 JUN 2012
उदयपुर (राज.)

राजस्थान RAJASTHAN 896411

रजिस्ट्रार साहब के समक्ष विक्रेतागण प्रथम पक्षकार कर देगा तथा भुमि सम्पुर्ण द्वितीय पक्षकार को सुपुर्द कर दी है जिसे क्रेता द्वितीय पक्षकार आज दिनांक के बाद उपयोग उपभोग में लेवे प्रथम पक्षकार को किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही है, न ही रहेगा।

6– यह कि उक्त वर्णित आवासीय भुमि परिवर्तन आदेश इस विकय विलेख के साथ संलग्न है यह आदेश इस विकय विलेख का एक आवश्यक अंग है।

7– यह कि उक्त वर्णित आवासीय भूमि पर पूर्ण रुप से प्रथम पक्षकार का स्वामित्व व आधिपत्य व काबिज है, व मुझ विकेता को विकय करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त है। अन्य दिगर व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा एवं हित नही है।

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

5000/- रु. का स्टाम्प नं. 1021 श्री महावीर जैन विद्यालय संस्थान

पुत्र श्री संस्थापक [illegible] जाति जैन उम्र वयस्क

निवासी 140, से. न. 4, हि. म. उदयपुर हस्ते श्री स्वयं

पुत्र श्री ............ जाति ............ उम्र ......

निवासी ............ को वास्ते विक्रय इकरार

को दिया गया। दिनांक 12/6/12

हस्ताक्षर खरीददार

पंकज
स्टाम्प वेण्डर ला. नं. 21/08
हिरण मगरी, सेक्टर-4
उदयपुर (राज.)

प्रथम पक्षकार को प्राप्त है वो सभी हक व अधिकार आज से आप केतागण द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हो गये है।

14– यह कि उक्त आवासीय भुमि जो कि विक्रय की जा रही है अब आप केता द्वितीय पक्षकार किसी अन्य दिगर व्यक्ति को सिजारे पर देंवे। रहन, बैह, बक्षीस कर, ठेके पर देवे, राजस्व रिकोर्ड मे अपने नाम से करावें, नामान्तरण करावें, किसी तरह का भार रखे अथवा मुन्तकिल करे नूिमर्ण हेतु ऋण लेवें ,आदि तो विक्रेता प्रथम पक्षकार का कोई उजर ऐतराज नही रहेगा।

15– यह कि उक्त भुमि सिंलिग कानुन के अन्तर्गत नही है, अगर होगी तो उक्त विक्रय मूल्य मय हर्जे–खर्चे सहित अदा करने की सारी जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्षकारा स्वयं की रहेगी। यह कि उक्त आवासीय भूमि के हिस्से के समस्त कागजात जो विक्रय के है वो आप केता को सिपुर्द कर दिये है।

16– यह कि उक्त आवासीय भुमि विक्रेता प्रथम पक्षकार के नाम है सो आप केता द्वितीय पक्षकार को इस विक्रय–पत्र द्वारा अपने नाम से नामान्तरण करावें विक्रेता प्रथम पक्षकार की जहा भी उपस्थिति अनिवार्य होगी व हस्ताक्षरो की आवश्यकता होगी तो पुर्ण रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षर करुगी । व इसके लिये किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशी की मांग नही करुगी।

17– यह कि रजिस्ट्री व स्टाम्प आदि का कुलिया खर्चा केता द्वितीय पक्षकारा के जिम्मे रखा गया है। जो कि विक्रय मूल्य के अलावा होगा।

18– यह कि कुलिया विक्रय मुल्य रुपये 4,51,000/– चार लाख इक्कावन हजार रुपया विक्रेता ने आज दिनांक से पूर्व ही प्राप्त कर लिये है।

19– यह कि विक्रय की जाने वाली उक्त आवासीय भूमि पर भाई बन्ध, रिश्तेदार, कुटुम्ब, भाई–भतीजे व अन्य किसी का भी कोई भी उजर एतराज नही हैं । अगर भविष्य मे ऐसा पाया तो द्वितीय पक्षकार केतागण को होने वाली

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

8– यह कि उक्त आवासीय भुमि हर प्रकार के ऋण एंव अभिभारो से मुक्त है। यदि उक्त आवासीय भुमि पर किसी तरह का ऋण या भार होना पाया गया तो उसकी अदायगी की सारी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार स्वयं की रहेगी।

9– यह कि उक्त आवासीय भुमि विक्रेता प्रथम पक्षकारान कि मिल्कीयत की कमी के कारण आप क्रेता द्वितीय पक्षकार के अधिपत्य/कब्जे से निकल जावेगा तो उसके सम्पुर्ण हर्जे–खर्चे व विक्रय मुल्य को चुकाने की सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्षकारान् की होगी । द्वितीय पक्षकार को अधिकार रहेगा कि आप सम्पुर्ण रकम मय हर्जे–खर्जे सहित मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार की अन्य दिगर जायदाद से वसुल करने के अधिकारी होगे।

10– यह कि उक्त बैह शुदा आवासीय भुमि का कब्जा आप क्रेता द्वितीय पक्षकार को वास्तिविक रुप से मौके पर सिपुर्द कर दिया है। उक्त आराजी पर किसी तरह का राजकिय या अर्द्ध राजकीय लगान या टैक्स देय होगा जो आज के पूर्व के करो की सारी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार की रहेगी व आज दिनांक के बाद कुलिया करो की जिम्मेदारी आप क्रेतागण द्वितीय पक्षकार स्वयं की रहेगी।

11– यह कि उक्त आवासीय भुमि बाबत् विक्रेता प्रथम पक्षकार ने किसी तरह का कोई इकरार बैह नही कर रखा है न ही इस पर किसी तरह का कोई कर्ज ही ले रखा है और न ही किसी तरह की कोई लिखतम या लिखावट इस आराजी पर भार बाबत् या मुन्तकिली बाबत कर रखी है।

12– यह कि उक्त आवासीय भुमि बाबत यदि किसी तरह की कोई लिखावट हम विक्रेता के हक बाबत सामने आई तो वह इस बेहनामे के मुकाबले में रद्द मानी व समझी जावेगी।

13– यह कि बैहशुदा आवासीय भुमि का कब्जा आप क्रेता द्वितीय पक्षकार को इस विक्रय–पत्र द्वारा सिपुर्द कर दिया है सौ आप क्रेतागण हम विक्रेता के बजाय उक्त वर्णित आवासीय भूमि के पुर्ण रुप से मालिक एवं काबिज होकर आप अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग लावें। स्वामित्व सम्बन्ध जो हक व अधिकार मुझ विक्रेता

...की कार्यवाही मय हर्जे-खर्च सहित प्रथम पक्षकार से वसुल कर सकेगें व मुझ प्रथम पक्षकार की दिगर सम्पति से वसुल कर सकेगें।

20– यह कि उक्त वर्णित आवासीय भूमि पर आज दिनांक को किसी भी बैंक वितिय संस्थान व व्यक्ति से कोई ऋण लिया हुआ नही है। अगर ऐसा भविष्य में पाया गया तो उसके चुकाने की सम्पुर्ण जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्षकारा की रहेगी।

21– यह कि विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आज दिनांक को विक्रय मुल्य की समस्त राशी प्राप्त कर ली गई है अब किसी भी प्रकार की राशी लैना बकाया नही है। प्राप्तगी की रसीद स्वीकृति इस पंजीयन पत्र पर कर दी गई है।

अतः यह विक्रय–पत्र हम विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आज दिनांक को अपनी राजी खुशी, स्वेच्छा से व बिना किसी दबाव के, पुर्ण होश हवास की हालत में, स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि की अवस्था में निम्नलिखित साक्षीगण के समक्ष लिख दिया सो सही एवं सनद रहे व वक्त जरुरत काम आवें।

स्थान :– वल्लभनगर, उदयपुर

दिनांक :– 11–06–12

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

गवाह –1

गवाह –2

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

आज दिनांक 13 माह 06 सन 2012
को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 126
की क्रम संख्या 192/12 एवं पृष्ठ संख्या 192
पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अ.ति. पु. संख्या 1
जिल्द संख्या 126 के पृष्ठ संख्या 92 पर
चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, भीण्डर
जि.--उदयपुर (राज.)

क्रमांक एफ 4 ( ) राज/री/भू.रू./प्रा./07/12/12/535-39 दिनांक– 24.4.12

## –:सपरिवर्तन आदेश :–

श्री श्रीमति कमला W/o हीरालाल मीणा R/o वडगांव के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि को नियम 9 के अन्तर्गत राजस्थान–भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टीया नीचे दी गई है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता | श्रीमति कमला W/o हीरालाल मीणा नि० वडगांव |
| 2. | क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। | हाँ |
| 3. | संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि का ब्यौरा<br>A–ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम | वडगांव वडगांव वल्लभनगर |
| | B–भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टर/व.मी.में) क्षेत्र में | ख० नं० 448/9 अंश. 4) [illegible] यानि 4862 वर्गमीटर |
| | C–प्रत्येक खसरा संख्या क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन(क्षेत्रफल हैक्टर/वर्गमीटर में) | ख० नं० 448/9 अंश. 4) [illegible] 21 यानि 4862 व०मी० |
| | (टिप्पणी अकृषि प्रयोजन कि लिये संपरिवर्तित भूमि का दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है) | |
| 4. | परिवर्तन का प्रयोजन | आवासीय कालोनी |
| 5. | संदेय प्रमियम की दर | |
| 6. | चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम | मद 0029 चा.सं. 1056 दि. 28.3.12<br>भू राजस्व राशि रु. 364651-<br>मद पी.डी. चा.सं. —<br>प्रथम प.सं.भीण्डर राशि रु. 364651-<br>कुल योग |
| | चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति,यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम | Nil |
| 8. | चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम | Nil |
| 9. | क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है। | No |
| 10. | अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो | Nil |

11.उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी। और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
5. निर्धारित सड़क मार्गाधिकार नेशनल रोड कांग्रेस एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग से क्रमशः 40 मीटर एवं ग्रामीण सड़क से निर्धारित दूरी छोड कर ही कार्य कर सकेंगे।
6. भविष्य में यदि किसी प्रकार की राजस्व आदि देय होने पर प्रार्थी जमा कराने हेतु बाध्य होगा।
7. जिस प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तित की जा रही है, उसके लिए प्रार्थी का संबंधित विभाग स्थानीय निकाय से अनापति/स्वीकृति आदि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. आवासीय कोलोनी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला – उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर

प्रतिलिपि:–

1. जिला कलक्टर, उदयपुर की सेवार्थ सूचनार्थ
2. तहसीलदार वल्लभनगर ______ । 4.आवेदक श्रीमति कमला W/o हीरालाल मीणा नि० वडगांव ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत वडगांव । 5.पटवारी हल्का वडगांव ।

उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला – उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर

# कार्यालय ग्राम पंचायत बंडगॉव – भीण्डर

## उदयपुर (राज.)

क्रमांकः                                                                 दिनांकः 22-11-12

संस्थापक संचालक / सचिव
महावीर जैन विद्यालय संस्थान, उदयपुर
बंडगॉव, भीण्डर – उदयपुर

**विषयः– आपके आवासीय भूमि आ.नं. 554 मीन पर आवासीय भूखण्ड पर भवन निमार्ण की अनुमति पत्र।**

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक ......666...... दिनांक 21-11-12 के अनुसरण में आराजी नम्बर 554 मीन (स्थायी) की ~~आराजी 2½ बिगा आवासीय~~ भूमि नामी योजना बंडगॉव, खसरा संख्या 554 मीन के योजना प्लान के क्षैत्रफल नक्शेनुसार निमार्ण कार्य निम्न शर्तो के साथ विद्यालय संस्थान को निमार्ण की इजाजत दी जाती हैः–

1. निमार्ण कार्य हवा–पानी, रोशनी के लिए जगह छोडकर किया जावे।
2. भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षैत्रफल के अनुसार निमार्ण कार्य करवाया जाये।
3. सभी कमरों में हवा–पानी, रोशनी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो।
4. भवन पर ऐसा कार्य नही करावे जैसा कि दुसरों को हानी न होवे।
5. भवन के निमार्ण में संस्थान व अन्य व्यक्तियों का स्थान ही सुरक्षित रहेगा।
6. यह स्वीकृति भवन निमार्ण हेतु दी जाती है।
7. निमार्ण में पर्यावरण का ध्यान रखे।
8. संस्थान इस भवन निमार्ण स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रियकृत बैंक व अन्य वित्तिय संस्थान से ऋण लेवे।
9. यह निमार्ण स्वीकृति जारी होने के बाद से ही निमार्ण कार्य करावें।
10. भवन निमार्ण स्वीकृति संलग्न दस्तावेज के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

सरपंच सरपंच
ग्राम पंचायत बंडगॉव
भीण्डर–उदयपुर

(मुहर: सरपंच, ग्राम पंचायत बंडगॉव, पं.स. भीण्डर, जिला उदयपुर)

प्रतिलिपिः

1. ग्राम पंचायत निमार्ण शाखा बंडगॉव
2. प्रतिलिपि ग्राम पटवारी बंडगॉव
3. रक्षित पत्रावली

सरपंच

ग्राम - बड़गाम पट० ह० - बड़गांव तहसील वल्लभनगर
जिला - उदयपुर [illegible] - 2052 53

सत्यापित प्रतिलिपि
[illegible] 1995
[illegible]
21/11/12
पटवारी
पटवार मण्डल बड़गांव
तह.वल्लभनगर(उदयपुर)

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ०·३३३१ | | | | | |
| | | २·५३११ | जोड़ खाता | | ४४/२ | | [illegible] |
| २२४ = २२१ | | १·०४०३ | श्री लच्छा - धापा पिता नवला जाति [illegible] श्री·० | [illegible] | ४/ | [illegible] | २·७०·३१ |
| | | १·०४०३ | जोड़ खाता | | ४/ | | ०·३१ |
| २६६ | २६२ | १·०४०३ | श्री लच्छीराम पिता नवला गमेती (भील) सा· देह | ४४४ | ४/ | [illegible] | ४/ ३४/ २-५० |
| | | १·०४०३ | जोड़ खाता | | ४/ | | ३·५० |
| २६७ | २६३ | ०·२५११ | श्री लोगरिया नुनाया पिता [illegible] सा· नवाबाद म· बड़गांव | ६४४ | ४/ | [illegible] | [illegible] ०·६४ |
| | | ०·२५११ | जोड़ खाता | | [illegible] | | [illegible] |
| | | | सिंचाई | | | | |
| २६८ | २६४ | १·०४०३ | श्री अम्बाला पिता हेमा [illegible] खाता | ७७६/२ | ४/ | [illegible] | [illegible] |
| | | ०·३३४९ | | ७७७/२ | ४/ | गन्ना | — — |
| | | १·३११९ | | ७८७ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | ०·५१२५ | | ७४८ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | ०·१५१२ | | ८०२/२ | ११/४ | [illegible] | ११/११ ०·४० |
| | | ३·५१०१ | जोड़ खाता | | [illegible] | | [illegible] ०·३१ |

ह० 1252 / 17.5.2007 — [illegible]

ह० 1250 / 17.5.2007 — [illegible]

सत्यापित फोटो कॉपी
₹ 35 [illegible]
21/11/12

पटवारी
पटवार मण्डल बड़गांव
तह. वल्लभनगर (उदयपुर)